†ध्याय-19

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें/ई-गवर्नेन्स

19.1 मंत्रालय में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उन्नत दक्षता लाने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेन्स क ार्यान्वित कराने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। स्कीम के लिए निम्नलिखित उद्देश्य पहचाने गए हैं:

- मंत्रालय में विद्यमाा सूचाा प्रौद्योगिकी के वर्त माो ढांचे को सुदृढ़ और अद्यता कराा ।
- मंत्रालय (मु.स.) के प्रभागों/आुभागों को कवर करो (लगभग 350 ाोड) के लिए एथरनेट लौ क ा सृजा ।
- कम्प्यूटर को ावीातम प्रौद्योगिकी से लैस करो के लिए सर्वर और साफ्टवेयर प्राप्त कराा ।
- ोटवर्क को चलाो व इसके प्रबंधा तथा डाटाबेस सृजा व प्रबंधा के लिए साफ्टवेयर प्राप्त कराा ।
- क्लाइंट्स बााा और साफ्टवेयर का प्रयोग करो वालों के लिए इहें पारदर्शी बााा ।
- यूजर्स के तकाीकी कौशल का स्तर बढ़ाा ।
- सार्वजनिक क्षेत्र में यथासंभव सूचाा उपलब्ध क रो के लिए कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाा ।
- मंत्रालय के विषयों पर व्यापक डाटाबेस तैयार कराा । इा डाटाबेसों को दिल्ली से बाहर स्थित सभी क्षेत्रीय केद्रों और अधिकारियों के लिए प्रत्येक दिा हर समय उपलब्ध कराा ।
- विभिन्न कार्यालयों के कार्यकलापों को संचार माध्यमों से आपस में जोड़ाा ताकि आपस में सहयोग प्रक्रिया का ार्माण हो सके और अधिक प्रभावी व समय से ार्णय लो में मदद मिल सके।
- मंत्रालय के अधिकारियों को रोजमर्रा के और बार-बार किए जाने वाले कार्यों से मुक्त कराना ताकि उनकी उपयोगिता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके।
- सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को विकसित करना ताकि जनता द्वारा कार्यालयों में बार-बार आने की जरूरत समाप्त हो जाए ।
- ोट पर विभिन्न प्रपत्रों और सूचनाओं उपलब्ध क राना और प्रत्येक समय दूर-दराज के क्षेत्रों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराना ।
- ‡-गवर्नेन्स के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वेब-समर्थित अनुप्रयोग का विकास करना।

19.2 इस स्कीम के लिए 10वीं योजना में 800 लाख रुपये के परिव्यय की आशा है । यह आबंटा सूचाा प्रौद्योगिकी कार्यावया पर व्यय के लिए सरकार के ा-र्देशों के अनुसार मंत्रालय की ाधि के 2 से 3 प्रतिशत के भीतर ही सीमित रहेगा ।

19.3 सूचाा प्रौद्योगिकी स्कीम मंत्रालय के दिल्ली स्थित कार्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है । 10वीं योजाा में, इसे दिल्ली स्थित अधीास्थ व सम्बद्ध कार्यालयों में तथा दिल्ली से बाहर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तारित किया जाएगा । इसके लिए वेब-समर्थित अनुप्रयोग विकसित कराा होगा । इससे विदेशों में क ार्यरत/सम्मेलों पर ाियुक्त मंत्रालय के अधिकारी इंटरोट समर्थित लेपटॉप से सूचाा प्राप्त करके प्रभावी हस्तक्षेप करो में भी सक्षम हो सकेंगे।

19.4 स्कीम का एक सूचाा प्रौद्योगिकी समिति तथा परियोजाा समीक्षा उप-समिति, जिसके प्रधाा संयुक्त सचिव तथा सूचाा प्रौद्योगिकी प्रबंधक ,ादेशक (आई एफ डी) हैं तथा एा आई सी के प्रतिाािधि सदस्य के रूप में हैं, द्वारा ाियमित व्य से आुवीक्षण किया जा रहा है । आई टी स्कीम के योजाा ार्माण, ाष्पादा और समीक्षा में सहयोग और प्रबंधा के लिए आई टी प्रबंधक हैं । परियोजाा समीक्षा उप-समिति मंत्रालय में योजाा के कार्यावया की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करती है, संसाधाों के आबंटा की ागिराा करती है, स मस्या वाले क्षेत्रों की पहचाा करती है और उपचारात्मक/वैकल्पिक कार्रवाई योजाा की सलाह देती है ताकि आुप्रयोग साफ्टवेयर मॉडयूल का लक्ष्य के आुसार विकास और क ार्यावया किया जा सके ।

19.5 ‡ ़-गर्वोस के क्षेत्र में श्रम और रोजगार मंत्रालय की ावीा पहलें ाम्वित् हैं :

10वीं योजाा के दौराा दिसम्बर, 2005 तक वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां :

बाल श्रम आुभाग का कम्प्यूटरीकरण

19.6 बाल श्रम आुभाग के लिए भी साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है ताकि परियोजाा समितियों से सीधे ही रिपोर्टें प्राप्त की जा सकें जो ा केवल आंकड़ों के तेजी से अद्यता में सहायक होगा अपितु और अधिक कारगर आुवीक्षण में भी सहायक होगा । इस संबंध में संभावित व्यय 3.50 लाख रुपये होगा ।

प्रशिक्षण

19.7 द्वामता ार्माण के उद्देश्य से, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ए.आई.सी. की सहायता से समुचित कम्प्यूटर कौशलों में ायिमित प्रशिक्षण प्रदाा किया जा रहा है । हमारी योजाा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ादिेशक/उप सचिव स्तर तक के सभी अधिकारियों को पावर प्वाइंट प्रजेंटेशा कौशल विकास तथा सहायक स्तर के कर्मचारियों को बेसिक कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षित करो की है।

श्रम प्रलेख एवं संदर्भ केद्र का कम्प्यूटरीकरण

19.8 उपर्युक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय के पुस्तकालय को कम्प्यूट्रीकृत किये जाो का भी प्रस्ताव है । ऐसी सूचाा है कि वर्तमाा में पुस्तकालय में एक लाख पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं आदि हैं । एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है ताकि पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि की प्रविष्टि/ार्गिम तथा फेहरिस्त (इवेंटरी) कम्प्यूटरों के माध्यम से की जा सके जिससे ा केवल पुस्तकालय के प्रभावी कार्यसंचाला में मदद मिलेगी अपितु यह और अधिक प्रभावी आुवीक्षण में भी सहायक होगा । इस संबंध में संभावित व्यय लगभग 6-8 लाख रुपये होगा ।

लो कोक्टिविटी आदि

19.9 सूचाा अधिकार अधिायिम के अधिकार को राष्ट्रपति की आुमति प्राप्त हो गयी और उसे 21.6.2005 को अधि्सूचित कर दिया गया था । अध्याय-II की धारा 4(1) के आुसार, प्रत्येक प्राधिकरण को अपो समस्त अभिलेख विधिवत् सूचीबद्ध एवं क्रमबद्द ढंग से बााए रखाा आवश्यक है, ताकि इस अधिायिम के अंतर्गत सूचाा के अधिकार को सुविधाजाक बााया जा सके । इस संबंध में, इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत वांछित समस्त सूचाा इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अवश्य उपलब्ध होाी चाहिए । इस अधिायिम की धारा 4(1) के प्रभावी कार्यावया के लिए, मंत्रालय के प्रत्येक आुभाग/एकक/प्रकोष्ठ तथा प्रत्येक अधिकारी के पास लो की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी । मंत्रालय के कुछ महत्वपूर्ण आुभागों/प्रभागों अर्थात् बाल श्रम प्रभाग, प्रशासा प्रभागों तथा संसद एकक आदि के कम्प्यूटरीकरण के अलावा श्रम शक्ति भवा और जैसलमेर हाऊस स्थित मंत्रालय के कुछ आुभागों, जिहें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की आधुाकीकरण योजाा के अंतर्गत आधुाकीकृत किया गया, आधुाकीकरण किया जा रहा है, को कम्प्यूटरीकृत किये जाो का भी प्रस्ताव है ।